Shortfall in Power Capacity in the Country

650. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is likely to be a massive shortfall in power generating capacity in the country;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) the steps taken by Government to meet the shortfall?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (c). During the Seventh Plan period the target of additional capacity for power generation has been fixed as 22,245 MW. During the first three years of the Seventh Plan i.e. upto 1987-88 a capacity of 11828.29 MW has been commissioned, and the target fixed for the Seventh Plan is likely to be achieved.

Various measures have been taken to obviate delays in completion of power projects which include extensive monitoring of the projects, expediting supply of equipment and materials, visit to project sites by Senior Officers of the Government and Central Electricity Authority to identify and overcome the constraints. The need for effective project management has also been emphasised to the State Authorities.

महाकुम्भ के अवसर पर स्मारक डाक-टिकट

651. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद में इस वर्ष चल रहे महाकुम्भ के अवसर पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्मारक डाक-टिकट अब तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार अब इस डाक-टिकट को जारी करने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख). जी हां। इस प्रस्ताव को फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, जो स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने और अन्य संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देती है, लेकिन समिति ने इसे जारी करने की सिफारिश नहीं की।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्मारक डाक टिकटों का जारी किया जाना

652. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1989 के वर्ष में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्तमान मानदंड का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) 1989 के दौरान अब तक जारी किए जा चुके स्मारक/विशेष डाक-टिकटों का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। वर्ष 1989 की शेष अवधि के दौरान ऐसे डाक-टिकटों को जारी करने के लिए फिलहाल विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ख) स्मारक/विशेष डाक-टिकटों को जारी करने के लिए सामान्यतया अपनाये जा रहे मार्ग निर्देशन सिद्धांत विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1989 में अब तक पहले ही जारी किए गए स्मारक/विशेष डाक-टिकट

1.	2-1-1989	हरेकृष्ण महताब
2.	2-1-1989	मन्नतु मद्नामन
3.	10-1-1989	लोक सभा सचिवालय
4.	11-1-1989	राज्य संग्रहालय, लखनऊ
5.	17-1-1989	बलदेवराम जी मिर्धा
6-9.	20-1-1989	भारत-89 (विश्व फिलैटली प्रदर्शनी)
10.	31-1-1989	डॉन बास्को
11.	8-2-1989	3 केवेलरी
12.	13-2-1989	दरगाह शरीफ अजमेर
13.	15-2-1989	राष्ट्रपति द्वारा नौ सैनिक बेड़े का पुनरीक्षण

विवरण-2

वर्ष 1989 की शेष अवधि के दौरान जारी किए जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकट के प्रस्ताव, जो इस समय विचाराधीन हैं:

1. इलाहाबाद
2. आदि शंकराचार्य
3. आसफ अली
4. आचार्य नरेन्द्रदेव जी
5. आचार्य कृपलानी
6. बी० जी० खेर
7. विष्णु राम मेघी
8. *वियोगी हरि*
9. बालकृष्ण नवीन
10. बम्बई आर्ट सोसायटी, बंबई
11. सी० आर० पी० एफ०
12. दक्षिण गंगोत्री पोस्ट आफिस
13. डी० ए० वी० आन्दोलन
14. डा० एस० राधाकृष्णन्
15. डा० पी० सुब्बारायन
16. डा० एम० जी० रामचन्द्रन्
17. डा० द्वारका नाथ कोटनीस
18. फॉक/ट्राइबल डांसेस ट्राइबल आर्ट आफ इंडिया
19. 18वां अंतर्राष्ट्रीय एपीलेपसी कांग्रेस
20. इंडियन सिनेमा
21. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
22. किर्लोस्कर ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज
23. कमल अटातुर्क
24. लक्ष्मण नायक
25. मोहन बागान एथेलेटिक क्लब / फुटबाल
26. नामाकल कविगनार
27. राष्ट्रीय एकता
28. पंजाब विश्वविद्यालय
29-30. पं० जवाहरलाल नेहरू
31. पं० सुन्दर लाल शर्मा
32. पायनियर
33. राजकुमारी अमृत कौर
34. राव गोपाल सिंए खारवा
35. सायाजी राव गायकवाड़
36. श्यामजी किशन चन्द वर्मा
37. सर गुरूनाथ बेवूर
38. एस० डी० किचलू
39-40. वन्य जीव
41. वालचन्द् हिराचन्द्

विवरण-3

मार्ग निर्देशन सिद्धान्त

1. प्रस्ताव समय की दृष्टि से पर्याप्त समय पूर्व, अर्थात डाक-टिकट जारी करने की प्रस्तावित तारीख से दो वर्ष पूर्व पूरे ब्यौरे सहित प्रस्तुत किये जाने चाहिए ताकि इनकी सुनियोजित जांच की जा सके और फिलैटली सलाहकार समिति से सिफारिश प्राप्त की जा सके।
2. किसी जीवित व्यक्ति पर स्मारक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता।
3. जिस विशिष्ट व्यक्ति पर स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाना है, वह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का होना चाहिए और जिस अवसर पर डाक टिकट जारी किया जाना हो वह उसकी जन्म शताब्दी/10वीं, 25वीं, 50वीं, अथवा 100वीं, पुण्य तिथि होनी चाहिए।
4. किसी एक ही व्यक्ति/स्मारक/भवन/संस्था अथवा संगठन पर एक से अधिक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता।
5. किसी संस्था, भवन, स्मारक आदि पर डाक/टिकट इसकी शताब्दी/125वीं वर्षगांठ/150वीं वर्षगांठ आदि पर जारी किया जा सकता है।
6. केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर डाक-टिकट जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है।
7. प्रत्येक वर्ष जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक-टिकटों में से विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक टिकट सामान्यतया 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत डाक टिकट लोकप्रिय विषयों जैसे पेड़-पौधे एवं जीव जन्तु, कला एवं संस्कृति आदि पर होने चाहिए।

चालू तथा आगामी वर्ष के दौरान राज्यों को गैस की अनुमानित सप्लाई

653. **श्री मीर्जा इर्शादबेग:** क्या **पेट्रोलियम औ प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष तथा अगामी वर्ष के दौरान